



राजस्थान मंत्रिमंडल की बैठक में लयि गए कई अहम नरिणय

चरचा में क्योँ?

24 नवंबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोट की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य कार्मकों को पदोन्नतके अधिक अवसर देने, राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा देने, राजस्थान सविलि सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नयिम में संशोधन, राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनरवास नीतके प्रस्ताव पर अनुमोदन सहति कई अहम नरिणय लयि गए।

प्रमुख बडि

- इस बैठक में मंत्रिमंडल ने राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना-2022 का अनुमोदन कयि है। बजट घोषणा वर्ष 2022-23 की पालना में तैयार इस योजना से ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मल्लिगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापति की जाने वाली पर्यटन इकाइयों यथा ग्रामीण गेस्ट हाउस, कृषि पर्यटन इकाई, कैपिंग साइट, कैरावेन पार्क की स्थापना से गांवों में रोजगार सृजति होंगे और ग्रामीण हस्तशिल्प को संरक्षण मल्लिगा। वही देशी-वडिशी पर्यटक राजस्थान की ग्रामीण संस्कृति से रूबरू हो सकेंगे।
- योजना के अंतर्गत ग्रामीण पर्यटन इकाइयों की स्थापना एवं संचालन के प्रावधानों में इकाईयाँ 15 फीट चौड़ी सड़क पर न्यूनतम 1000 वर्गमीटर एवं अधिकतम 2 हेक्टेयर कृषि भूमि पर अनुमत होंगी। इन इकाइयों को भू-संपरविरतन एवं बलिडगि प्लान अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। इनमें स्टांप ड्यूटी में 100 प्रतिशत की छूट सहति कई प्रावधान कयि गए हैं।
- मंत्रिमंडल की बैठक में 'राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनरवास नीति-2022' का अनुमोदन कयि गया। इस नीतिके अंतर्गत 50 वर्ग फीट प्रति व्यक्ती की न्यूनतम जगह के साथ छत उपलब्ध कराने, महिलाओं, मानसकि रूप से वकिषपितों एवं बीमारों जैसे वशिष श्रेणी के लोगों को समुचित नजिता एवं सुरक्षा उपलब्ध करवाए जाने संबंधी प्रावधान कयि गए हैं। इसके अलावा नीति में पेयजल, चकितिसा सुवधि, पर्याप्त अगना सुरक्षा उपाय जैसी मूलभूत आवश्यकताएँ भी उपलब्ध करवाए जाने एवं बेघर व्यक्तियों के लयि शेल्टर्स गृह का संचालन करने सहति वभिनिन प्रावधान हैं। इस नरिणय से बेघरों को शकिषा, कौशल एवं रोजगार उपलब्ध करवाया जाकर सशक्त बनाया जाएगा।
- बैठक में मंत्रिमंडल ने राजस्थान सविलि सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नयिम, 1988 में संशोधन का भी बड़ा फैसला लयि है। इससे राज्य की भरतियों में भूतपूर्व सैनिकों को कषैतजि (हॉरजिऑनटल) श्रेणीवार आरक्षण प्राप्त होगा। इस संशोधन से अनुसूचित जाति/जनजातके भूतपूर्व सैनिकों को भी समग्र रूप से सीधी भरतियों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व मल्लिगा। इसके अलावा पछिड़ा वर्ग के लयि आरक्षति पदों में से पछिड़ा वर्ग के सामान्य अभ्यर्थियों (भूतपूर्व सैनिकों के अलावा) का भी सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकेगा।
- उल्लेखनीय है कि भूतपूर्व सैनिकों की वर्तमान भरती नयिमों में भरती उपरांत, उनका समायोजन उनसे संबंधति श्रेणी में कयि जाता है। इस व्यवस्था से भूतपूर्व सैनिकों के अपनी श्रेणी में समायोजति होने के कारण अनुसूचित जाति/जनजातके भूतपूर्व सैनिकों का चयन कम हो पा रहा है। साथ ही भूतपूर्व सैनिकों के लयि नरिधारति आरक्षण उपरांत चयनति अभ्यर्थियों के अपने वर्ग में समायोजति हो जाने के कारण कुछ भरतियों में पछिड़ा वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक नहीं हैं, का भी समुचित प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है।
- मंत्रिमंडलीय बैठक में राजस्थान कंप्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नयिम, 1992 की अनुसूची-1 में संशोधन कयि गया। इसके अनुसार, प्रोग्रामर के पद पर नयुक्ति हेतु 50 प्रतिशत सीधी भरती तथा 50 प्रतिशत पदोन्नतके वर्तमान प्रावधान को संशोधति कर 40 प्रतिशत सीधी भरती तथा 60 प्रतिशत पदोन्नत से कयि जा सकेगा। इससे सेवारत कार्मकों को पदोन्नतके अधिक अवसर मल्लिगे।
- मंत्रिमंडल में राजस्थान वाणजियकि कर अधीनस्थ सेवा (सामान्य शाखा) नयिम, 1975 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके अंतर्गत कर सहायक से कनषिठ वाणजियकि कर अधिकारी के पद पर पदोन्नतिका कोटा 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 87.5 प्रतिशत कयि गया है। इस नरिणय से कर सहायक के पद पर कार्यरत कार्मकों को पदोन्नतिका लाभ प्राप्त हो सकेगा।
- मंत्रिमंडल ने राजस्थान सविलि सेवा (पुनरीकषति वेतन) नयिम, 2017 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इस संशोधन के अंतर्गत राजस्थान अभयोजन सेवा में संयुक्त नदिशक के नवीन पद का सृजन, राजस्थान अभयोजन सेवा में अतरिकित नदिशक पद का पे-लेवल एल-20 से एल-21 तथा राजस्थान मोटर गैराज सेवा में मुख्य अधीकषक के नवीन पद (पे-लेवल एल-17) का सृजन कयि जाएगा। इससे राजस्थान अभयोजन सेवा तथा राजस्थान मोटर गैराज सेवा के अधिकारियों को अतरिकित पदोन्नतिका अवसर मलि सकेगा।

